न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ

पीठासीन अधिकारी श्री जीतूसिंह मीणा आरएएस

राजस्व **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 आरटीए / 15 / 2020**

01. फूसाराम पुत्र गंगूराम जाति जाट निवासी मोटासर हाल कृष्णनगर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

02. भंवरीदेवीइ पत्नि फूसाराम जाति जाट निवासी अजीतमाना हाल चक 38 केवाईडी, खाजूवाला जिला बीकानेर।

प्रार्थी

बनाम

01. मूलाराम पुत्र रूघाराम जाति राईका निवासी बडेरण लूणकरनसर जिला बीकानेर।

02. स्टेट ऑफ राजस्थान जरियें तहसीलदार छतरगढ।

अप्रार्थीगण

-:उपस्थित अभिभाषकगण:-

01 अधिवक्ता श्री भागाराम नाई प्रार्थी की ओर से

02 राजपैरोकार

निर्णय दिनांक 07.04.2021

उपरोक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में प्रार्थी फूसाराम पुत्र गंगूराम वगै. जाति जाट सा. मोटासर हॉल कृष्णनगर तह. छतरगढ जिला बीकानेर ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ के समक्ष पेश किया कि प्रार्थी संख्या 01 के ग्राम रोही कृष्णनगर तहसील छतरगढ के खसरा नं. 257 / 01 में 19.05 बीघा बारानी कृषि भूमि खातेदार है बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है तथा प्रार्थी संख्या 02 को खसरा नं. 258 / 3 एवं 262 में कुल 34.11 बीघा बारानी भूमि खातेदार है तथा कब्जाकाश्त है। अप्रार्थीगण संख्या 01 के नाम से खसरा नं. 254 व 257 भूमि को भौतिक रूप से मौका पर जबरन बन्द कर दिया गया है। यह कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए उपरोक्त ग्राम रोही कृष्णनगर के खसरा नम्बर 254 व 257 में गै. मु. रास्ता स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद TDR की मौका रिपोर्ट मय नक्शा, जमाबन्दी, गिरदावर रिपोर्ट में ग्राम रोही कृष्णनगर के खसरा नम्बर 254 कुल तादादी 18 बिस्वा गै. मु. रास्ता स्वीकृत करने हेतु जवाब प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी फूसाराम पुत्र गंगूराम वगै. जाति जाट सा. मोटासर हॉल कृष्णनगर तह. छतरगढ के प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात, तथ्यों पर अवलोकन किया गया चुंकि धारा 251ए रास्ता दिये जाने का प्रावधान है अतः जनसामान्य के हितों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण पर मनन किया गया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगणों को नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 2 को जारी नोटिस बाद तामिल न्यायालय हाजा को प्राप्त नियत तारीख पेशी दिनांक 07.04.2021 को बार बार आवाज लगाने पर भी अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से न्यायालय में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। जिसके कारण प्रकरण को एक पक्षीय कार्यवाही हेतु घोषित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.02 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ (बीका...

अतः न्यायालय अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुंए उपनिवेशन अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत जन सामान्य के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित समझते है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार छतरगढ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर न्यायालय इस निर्णय पर पहूँचा कि ग्राम रोही कृष्णनगर के खसरा नम्बर 254 कुल तादादी 18 बिस्वा गै. मु. रास्ता उपनिवेशन अधिनियम की धारा 8 (2) व धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत किया जाता है एंव तहसीलदार, छत्तरगढ को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार उपरोक्त 18 बिस्वा .भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दोगुनी राशि अप्रार्थीगण के पक्ष में जमा करवाई जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का ईन्द्राज करें।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जीतू सिंह मीणा)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ़ जिला बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.02 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested